संख्या 564/2023/XLI-A-65/2022(ई-38893)

प्रेषक

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर माधो सिंह भण्डारी
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

तकनीकी शिक्षा विभाग देहरादूनः दिनांक 09 ~~अप्रैल~~ मई, 2023

विषयः स्ववित्त पोषित के रूप में संचालित 05 इंजीनियरिंग संस्थानों सहित बौन इंजीनियरिंग संस्थान उत्तरकाशी को वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थानों के रूप में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3590/वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0/2023 दिनांक 20.02.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. मंत्रिमण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 के क्रम में तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग संस्थान यथाः **प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर, नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ, टी.एच.डी.सी.–आई.एच.ई.टी. नई टिहरी तथा बौन इंजीनियरिंग कालेज, उत्तरकाशी को As is where is basis** के आधार पर वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के नियंत्रणाधीन कैम्पस कॉलेज के रूप में निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन् संचालित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) उपर्युक्त सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों को राज्य सरकार से वेतन भत्ते आदि तथा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों में बी.ओ.जी. यथावत कार्य करती रहेगी एवं प्रश्नगत संस्थानों की प्रास्थिति स्ववित्त पोषित ही बनी रहेगी।

(2) संस्थानों के स्ववित्तपोषण पर किसी प्रकार का प्रभाव न पडे तथा उक्त संस्थानों द्वारा अपने संसाधनों को उन्नत किये जाने के भी प्रयास अनवरत किये जायें। संस्थानों की अवस्था (STATUS) स्ववित्तपोषित ही बनी रहेगी।

(3) सभी स्ववित्त पोषित संस्थानों में निदेशक यथावत कार्य करते रहेंगे तथा इन संस्थानों को वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा नियंत्रित किया जायेगा तथा संस्थानों की समस्त देनदारी वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा वहन की जायेगी, जिसमें सभी वित्त पोषित संस्थानों का प्रथम बार आने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन करना होगा।

(4) उपर्युक्त समस्त संस्थानों के निदेशक वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गठित कार्य परिषद के सदस्य के रूप में नामित होंगे तथा आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा वहन किया जायेगा।

(5) समस्त संस्थानों की बी.ओ.जी. में एकरूपता लायी जायेगी तथा स्ववित्तपोषित संस्थानों में गुणवतापरक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न नियामक संस्थानों के मानकानुसार भवन अन्य स्थापना सुविधाओं के लिए आवश्यक धनराशि एकमुश्त अनावर्तक ग्रांट के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा दी जायेगी। इस हेतु यदि आवश्यक हो, तो रेगुलेशन आदि में तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही की जायेगी।

2– यह आदेश वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड सं0 I\118258/2023 दिनांक 28.04.2023 से प्राप्त सहमति/परामर्श से निर्गत किये जा रहे है।

Signed by Raman Ravinath
Date: 04-05-2023 19:21:38

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा. तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. कुलपति, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आयुक्त, कुमायूं मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1 एवं 3, उत्तराखण्ड शासन।
12. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. सम्बन्धित संस्थानों के समस्त निदेशक, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Shriprakash Tiwari
Date: 05-05-2023 18:15:26

(श्रीप्रकाश तिवारी)
उप सचिव।